Sixteenth Loksabha

an>

Title: Right of Children to Free and Compulsory Education (Second Amendment) Bill, 2017 - Bill passed

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Madam, I rise to move:

> "That the Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, be taken into consideration."

स्पीकर महोदया, यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि सभी राज्यों ने एक राय से इस बिल की सिफारिश की है। सन् 2009 में जब राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया गया, उस समय यह सोचा गया कि परीक्षा का भय छात्रों के मन पर न रहे। यदि कोई छात्र फेल भी होता है, तो उसको डीटेन नहीं करेंगे, यानी उसको क्या आता है, क्या नहीं आता है, उसको न देखते हुए अगली क्लास में ले जाएंगे। इस तरह पहली कक्षा से आखिरी कक्षा तक नो डिटेंशन पॉलिसी आ गई। इससे लगभग परीक्षा का महत्व ही खत्म हो गया, क्योंकि किसी के डीटेन होने की संभावना ही नहीं बची। इसके दो परिणाम हुए - एक परिणाम यह हुआ कि जवाबदेही खत्म हो गई। न स्कूल की जिम्मेदारी, न टीचर की जिम्मेदारी, न पेरेंट्स की जिम्मेदारी और न स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी। मैंने ऐसे अनेक सरकारी स्कूल देखे, जो मिड-डे मील स्कूल बन गए - आना, खाना और जाना। इस कारण छात्रों को शिक्षा नहीं मिल रही थी। यह बड़ी कैज़्युअल्टी है। एक के बाद एक सर्वे हुए, चाहे वह नेशनल असेसमेंट सर्वे हो या बाकी के सर्वे हों, उनमें यह सामने आता था कि आठवीं कक्षा के छात्र को पांचवी कक्षा का गणित नहीं आता। सातवीं कक्षा का छात्र चौथी कक्षा का पाठ नहीं पढ़ सकता।

इस स्थिति से शिक्षा को खतरा पैदा हो गया। 22 राज्यों ने वर्ष 2013 में ही मांग की थी कि यह बदलना चाहिए और डिटेंशन को वापस लाना चाहिए। इसलिए डिटेंशन का प्रोविज़न वापस लाने के लिए यह बिल लाया गया है। इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं, पहली तो यह है कि किसी भी छात्र को रोकने के लिए यह बिल नहीं है, लेकिन अध्ययन करे, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जिनका उल्लेख वर्ष 2009 के बिल में किया गया था, लेकिन आज तक हो पाए थे। मोदी जी ने

पिछले सालों में गुजरात में लर्निंग आउटकम्स पर काम किया था, तो उनका आग्रह था, इसलिए हमने लर्निंग आउटकम्स तैयार किए। लर्निंग आउटकम्स के आधार पर शिक्षा में हर वर्ष में, हर कक्षा में, हर विषय का क्या ज्ञान मिलना चाहिए, यह निश्चित हो गया और लिपिबद्ध हो गया। टीचर्स का भी ट्रेनिंग हो गया। लेकिन फिर भी परीक्षा का महत्व है, इसलिए हमने यह निर्णय किया कि पांचवीं और आठवीं में परीक्षा होगी। पहली परीक्षा मार्च में होगी। जो स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे, उनको मई में पुन: अवसर मिलेगा। दो महीने का अध्ययन करके वे पुन: बैठ सकते हैं। अगर वे उस में भी फेल होते हैं तो उस क्लास में रोकने की सुविधा है। लेकिन हमने यह निर्णय यहां से नहीं थोपा है। एक कमेटी नियुक्त हुई थी, जिसने यह सिफारिश की थी। उसके बाद हमने केब की मीटिंग की और एक कमेटी नियुक्त की, जिसने यह सिफारिश की थी तब तक 25 राज्यों ने यह कहा कि हमें परीक्षा लेकर डिटेंशन का अधिकार दीजिए, तीन-चार राज्य, जिनमें तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र ऐसे हैं, जिन्हें अभी भी वही तरीका सही लगता है। इसलिए हमने यह सोल्यूशन निकाला। Now, the decision will be taken by the State Governments. So, the State Governments are empowered to take decision whether to detain or not to detain; whether to adopt this method or the earlier method. यह अधिकार राज्यों को दिया है, इसलिए सभी राज्यों ने यूनेनिमसली पास किया। उसके बाद स्टेंडिंग कमेटी में गया और स्टेंडिंग कमेटी ने बहुत चर्चा करने के बाद इसको स्वीकृत किया। इसलिए इस पृष्ठभूमि में यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है क्योंकि आज शिक्षा की और खास तौर से स्कूलों में शिक्षा की क्वालिटी अगर सुधारनी है तो सभी को अच्छी शिक्षा देने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। आज यह बिल इसीलिए सदन के सामने लाया गया है। सभी के सुझावों का स्वागत है।

HON. SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, be taken into consideration. "

Shri K.C. Venugopal.

… (*Interruptions*)

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): Madam, can I make one very important submission?

HON. SPEAKER: Yes.